भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3710
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा हेतु उपाय

3710. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जारी किए गए इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश के माध्यम से घरेलू विनिर्माताओं के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त उत्पाद के मध्यवर्ती घटक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुरूप न होने की स्थिति में तैयार इस्पात उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रावधान कार्यान्वित किए गए हैं;

(ग) हाल ही में जारी स्पष्टीकरण आदेश के माध्यम से सस्ते इस्पात की डंपिंग से घरेलू इस्पात उद्योग और उससे जुड़े रोज़गारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2035 तक देश में इस्पात की अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए, उक्त नीति से इस्पात उद्योग में आवश्यक पूंजी निवेश और क्षमता विस्तार को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क)और(ख): हाल ही में जारी इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश का उद्देश्य देश में निम्न-स्तर इस्पात की खपत को समाप्त करना एवं घरेलू विनिर्माताओं के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और विदेशी विनिर्माताओं तथा घरेलू विनिर्माताओं के बीच समानता लाना है।

(ग)और(घ): सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता विस्तार के लिए कई उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।

जारी.....2/-

iii. केन्द्रीय बजट में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर जोर दिया जाना।

iv. इनपुट सामाग्री जैसे स्क्रैप, फैरो-निकल आदि पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का अंशाकन (कैलिब्रेशन) करना।

v. डीजीटीआर द्वारा जांच के आधार पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लगाना।

vi. कुछ गैर-मिश्रधातु व मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर 200 दिनों के मूल्यानुसार 12% (बारह प्रतिशत) की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना।

vii. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने हेतु आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

******